

विशिष्ट न्यायालय अनुसूचित जाति व जनजाति (अ.नि.प्र.) कोटा

क्रमांक :

दिनांक :

सूचना

समस्त पक्षकारान एवं अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परिपत्र क्रमांक 14/PI/2020 Dated 14.04.2020 एवं माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटा के पत्र क्रमांक प.जि.न्याया./स्था/2020/ईए/77 दिनांक 14.04.2020 की पालना में इस न्यायालय में निम्नलिखित वे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, आगामी तारीख पेशी निम्नानुसार नियत की जाती है। पक्षकारान सूचित रहे :-

S.No.	Date	Next Date Criminal (Judicial Custody Files Only)
1	29.04.2020	15.05.2020
2	30.04.2020	15.05.2020
3	01.05.2020	15.05.2020
4	02.05.2020	15.05.2020

नोट : इनके अतिरिक्त समस्त पत्रावलियों में पूर्व में तारीख पेशी नियत की जा चुकी है। जो यथावत रहेगी।


उक्त तारीख पेशियां सीआईएस पर अपलोड करने हेतु संबंधित लिपिक को निर्देशित किया जाता है।

सभी पक्षकारान एवं अधिवक्तागण प्रतिदिन सीआईएस से पेशियां नोट करें। न्यायालय में आने की आवश्यकता नहीं है। अभियुक्तगण व गवाहान की हाजरी माफी की आवश्यकता नहीं रहेगी।

ऐसे प्रकरण जिनमें आगामी पेशी तक अस्थाई स्थगन आदेश जारी है, उसकी अवधि भी आगामी पेशी तक बढ़ाई हुई समझी जाए।

आदेश की एक प्रति सर्वर रूम जिला न्यायालय, कोटा को भिजवाई जावे एवं एक प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावे।

S/o
29.4.20


न्यायाधीश
विशिष्ट न्यायालय
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण प्रकरण)
कोटा (राज.)